राजस्थान सरकार

**कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुन्झुनू**

क्रमांक :– 5969 दिनांक :– 01/06/2022

**विज्ञप्ति संख्या–01 / 2022**

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है–

**रिक्त पदो हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नामः–**

| परियोजना | ई–मेल | रिक्त पद का विवरण |
|---|---|---|
| (1) झुन्झुनू | cdpojhunjhunu@gmail.com | **कार्यकर्ता**– दुराना ; **सहायिका** – अणगासर, खातियों की ढाणी (बुडाना) |
| (2) सूरजगढ | surajgarhcdpo@gmail.com | **कार्यकर्ता**– सूरजगढ़ ग्रामीण, सूरजगढ वार्ड न0 19, सूरजगढ वार्ड न0 04, पिचानवासी, काजड़ा–2, बड़सरी का बास ; **सहायिका** –महपलवास–3, दूदी, पीपली–2, घुमनसर कलां–2, पिलानी वार्ड नं. 20 |
| (3) बुहाना | cdpo.buhana@gmail.com | **कार्यकर्ता**– बनवास–2; **सहायिका**– सुलताना अहिरान–2, लाम्बी जाट, भिर्र–2 |
| (4) उदयपुरवाटी | cdpo.udp@gmail.com | **सहायिका**– नांगल–1, पापड़ा–1, भोड़की–7 (कचौलिया जोहड़ा) |
| (5) नवलगढ | cdpo.nwh@gmail.com | **कार्यकर्ता**– भगेरा–130; **सहायिका**– भगेरा–130, परसरामपुरा–20, डाबड़ी बलोदा–147, अजीतपुरा–107, जेजूसर–148, डुण्डलोद–81 (अल्प संख्यक), सैनीपुरा–84, नाहरसिंघानी–103 |
| (6) खेतडी | khetricdpo@gmail.com | **कार्यकर्ता**– गाडराटा–1, रवां–3 ; **सहायिका**– सुनारी–2, प्रतापपुरा–1, दूधवा–4 (अनुसूचित जाति) |
| (7) चिड़ावा | cdpochw2015@gmail.com | **कार्यकर्ता** – नेहरा की ढाणी, बदनगढ ; **सहायिका**– बृजलालपुरा, चिड़ावा वार्ड नं. 05, श्योपुरा, धतरवाला |

1. ग्रामीण क्षेत्र मे महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र मे सम्बन्धित आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परितयकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिऐ यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम योग्यता दसवीं उतीर्ण है। आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21–40 वर्ष होनी चाहिऐ। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
4. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
5. विधवा हेतु प्रमाण–पत्र के रूप मे पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
6. तलाकशुदा एवं परित्यकता की स्थिति मे सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 व परिपत्र क्रमांकः 48815–49615 दिनांक 30.03.2022 तथा पत्रांकः 49616–49953 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संग्लन दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरियता सूची से चयन किया जावेगा।
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
10. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
11. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूचीनुसार)/खाद्य सुरक्षा/अन्त्योदय/भारत सरकार के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण मे पात्र (यदि लागू हो तो) (8) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (9) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संग्लन किये जावे।
12. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।

13. आवेदन फार्म संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय की ई–मेल पर दिनांक 04.07.2022 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगे।

14. प्राप्त आवेदनों की जांच कर अन्तरिम वरियता सूची का प्रकाशन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में दिनांक 20.07.2022 को किया जायेगा। किसी भी आवेदक को आपत्ति होने पर दिनांक 27.07.2022 तक अपनी आपत्ति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को दर्ज करवायी जा सकेगी। आवेदन में किसी प्रकार की अपूर्णता होने पर उसे भी दिनांक 27.07.2022 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पूर्ण किया जा सकेगा।

15. इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु विभागीय परिपत्र कमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 व परिपत्र क्रमांकः 48815–49615 दिनांक 30.03.2022 तथा पत्रांकः 49616–49953 दिनांक 30.03.2022 से प्राप्त की जा सकती है।

16. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त करें।

(बिजेन्द्र सिंह राठौड़)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
झुन्झुनू (राज0)

क्रमांक :– 5970-79

दिनांक :– 01/06/2022

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, झून्झुनूं।
3. श्रीमान निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में **DIPR** दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावें।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू।
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला झुन्झुनूं।
6. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुन्झुनू।
8. अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका एवं नगर परिषद, जिला झुन्झुनू।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा में उक्त रिक्त पदो के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें तथा परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार अधिकाधिक प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
झुन्झुनू (राज0)